म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय, भोपाल

विपणन संघ

(ऑनलाईन निविदा दस्तावेज)

साफ–सफाईकर्मी आउटसोर्सिंग के आधार पर निविदा दस्तावेज

वर्ष 2019–20

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहांगीराबाद, भोपाल पिन–कोड नं 462008

ई–निविदा सूचना

विपणन संघ के पुराने एवं नये मुख्यालय भवन में साफ–सफाई कार्य हेतु आउटसोर्सिंग के आधार पर 6 साफ–सफाई कर्मियो की नियुक्ति करने के लिये सेवा प्रदाता एजेंसियो की आवश्यकता हेतु ऑनलाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। न्यूनतम अर्हता पूर्ति करने वाले पात्र निविदाकार वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर ऑनलाइन निविदा आमंत्रित किए जाने हेतु यह निविदा दस्तावेज है।

क्रं०	विवरण	समय
1.	निविदा दस्तावेज की अवलोकन हेतु उपलब्धता।	यह निविदा दस्तावेज विपणन संघ की वेबसाईट **www.mpmarkfed.mp.gov.in** पर सिर्फ अवलोकन – अध्ययन हेतु उपलब्ध कराया गया है।
2.	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन क्रय हेतु उपलब्धता।	निविदा दस्तावेज **http://www.mptenders.gov.in** से निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शित तिथी व समय तक क्रय मूल्य रू 1000 + प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाइन ही जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
3.	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन क्रय/जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा दस्तावेज वेबसाईट **http://www.mptenders.gov.in** से दिनांक 1–8–19 समय 12:00 बजे तक क्रय व जमा किये जा सकते है।
4.	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	1. तकनीकी बिड ऑनलाइन दिनांक 2–8–19 समय 12:00 बजे से खोली जावेगी। 2. फायनेंशियल बिड ऑनलाईन दिनांक 3–8–19 समय 12:00 बजे से खोली जावेगी।

निविदाकार के लिए निर्देश :–

1 सभी इच्छुक एवं आवश्यक न्यूनतम अर्हता पूर्ति करने वाले पात्र निविदाकारों को ई–निविदा पोर्टल **http://www.mptenders.gov.in** पर पंजीयन कराना अनिवार्य है।

2 ऑनलाइन निविदा जमा करने के लिए निविदाकारों को डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। डिजिटल सर्टिफिकेट संबंधित जानकारी एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर **0120–4200462, 0120–4001002, 0120–4001005 एंव 0120–6277787** पर सुबह **10:00** बजे से सांय **07:00** बजे या **eproc@nic.in** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

3 निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तिथी व समय पर खोली जावेगी।

(पी0एस0 तिवारी)
सचिव

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
मुख्यालय जहांगीराबाद, भोपाल

विपणन संघ

क0/स्था0वि0/ / 2019 भोपाल दिनांक ....

निविदा प्रकिया

1. कार्य का परिचय

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल अपने जहांगीराबाद स्थित मुख्यालय भवन व नवीन भवन एंव बाह्य परिसर की साफ–सफाई आउटसोर्सिंग के आधार पर 6 साफ–सफाईकर्मी हेतु निविदा आमंत्रित करता है। इन दोनों बहु मंज़िला भवनों में अधिकारियों के कमरों से संलग्न शौचालयों तथा कामन शौचालयों, संपूर्ण भवन तथा भवन परिसर की साफ–सफाई की व्यवस्था के लिए उपयुक्त फर्म/ऐजेन्सी से साफ–सफाई की निविदा आमंत्रित की जाती है :–

2. कार्य का प्रकार एंव विवरण

निविदाकार को कार्यालय भवन एंव परिसर की साफ–सफाई हेतु पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी जो निम्नानुसार कार्य विपणन संघ की संतुष्टि के अनुरुप सुनिश्चित करेंगें:–

1. कार्यालय परिसर के खुले भाग अर्थात अन्दर एंव बाहर दिन में दो बार सफाई करना होगी। इस कार्य हेतु द्वितीय पक्ष आवश्यकतानुसार सफाईकर्मी की व्यवस्था करेगा।
2. भवनों में स्थित कार्यालय की बाथरुम, शौचालय, पेशाबघर की सफाई दिन में कम से कम दो बार करनी होगी एंव आवश्यकतानुसार अधिक बार भी सफाई किया जाना आवश्यक हो सकता है। आशय यह है कि ठेकेदार को इन शौचालय व बाथरुम एंव भवन के प्रांगण को हमेशा साफ–सुथरा रखना होगा।
3. बाथरुम का फर्श, डब्लू0सी0 शीट्स व युरिन पाट साफ–सुथरा होना चाहियें व इसमें फिनायल दिन में दो बार डालना होगा। बाथरुम में यदि टाईल्स है तो टाईल्स बेसिन, टायलेट शीट को प्रतिदिन अनिवार्य रुप से बाथरुम एसिड से साफ करना होगा।
4. नेप्थलीन की गोलियां पेशाबपाट पर हमेशा रहना चाहिये तथा ओडोनील जैसी टिकिया बाथरुमों में हमेशा रहना चाहिये जो बदबू को खत्म करता हो।
5. बाथरुम के आस–पास पूरी सफाई रखी जानी होगी।

कमशः–2

6. भवन के समस्त कक्षों में झाडू एंव फिनायल सहित प्रतिदिन करना अनिवार्य होगा। आवश्यकता होने पर कुछ भागों में अधिक बार भी सफाई करनी पड सकती है। भवन की सीढ़ियो की सफाई दिन में तीन बार करना अनिवार्य होगा पर बरसात के मौसम में और आवश्यकतानुसार इससे भी अधिक बार सफाई करना अनिवार्य होगा।

7. समस्त बरांडा एंव पेसेज में झाडू दिन में दो बार देनी होगी तथा पेसेज में पौंछा लगातार आवश्यकतानुसार लगता रहेगा ताकि सफाई बनी रहे इस हेतु पर्याप्त सफाई कर्मचारी सदैव उपस्थित रहेगें।

8. सभी वातानुकूलित कमरों व वरिष्ठ अधिकारियों के कक्षों की साफ–सफाई हेतु विशेष कर्मचारी नियुक्त करने होगें जो वैक्यूम क्लीनर से इन कमरों की सफाई प्रतिदिन करेंगें तथा इन कक्षों में प्रतिदिन एक बार रुम फ्रेशनर स्प्रे करना होगा तथा इसमें संलग्न बाथरुम की सफाई पूर्व उल्लेखित प्रकिया अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

9. परिसर में रखे गये कचरे के डिब्बे व थूकदान की सफाई नियमित रुप से करनी होगी। थूकदान की रेत नियमित रुप से हर पखवाडे में बदलनी होगी एंव स्वास्थय के दृष्टिकोण से आवश्यक दवाईयां एंव पावडर का छिड़काव करना अनिवार्य होगा।

शर्ते एंव नियम

1. निविदा की स्वीकृति उपरांत ठेकेदार को म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ से एक वर्ष का अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित शर्तो का उल्लंघन या कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर एक माह की पूर्व सूचना से अनुबंध समयावधि के पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, उभयपक्षों की सहमति से कार्य अवधि बढाई भी जा सकती है।
2. समस्त सफाईकर्मी सभ्य, मृदुभाषी, मेहनती एंव शारीरिक रुप से स्वस्थ होना चाहिये।
3. साफ–सफाई कर्मचारियों को एक सी वर्दी में उपस्थित रहकर ही कार्य करना होगा।
4. निविदाकार की जबावदारी होगी कि वह अपने सफाईकर्मियों को वर्दी, झाड़ू, फिनायल, नेष्थोलीन की गोलियां, ओडोनील, रुम स्प्रे, पौंछा, टायलेट एसिड, रेत एंव समस्त साफ–सफाई से संबंधित सामग्री उपलब्ध करावे तथा इसे आधार मानते हुए प्रतिमाह लगने वाली सामग्री की व्यवहारिक कीमत भी निविदा में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
5. सफाई का कार्य रविवार एंव अवकाश के दिनों में भी करना होगा।
6. कोई सफाई कर्मचारी किसी गैरकानूनी कार्य कलाप में लिप्त पाया जाता है अथवा उनके द्वारा अभद्रता की जाती है या किसी सामान की चोरी करता पाया जाता है, चोरी की शंका होती है तो ऐसी स्थिति में विपणन संघ को अधिकार होगा कि ऐसे सफाईकर्मी को तत्काल परिसर से हटा दे एंव इस प्रकार विपणन संघ को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति निविदाकार को करना होगा।
7. ठेकेदार को निम्न अधिनियम का पालन अनिवार्य रुप से करना होगा :–
    1. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948
    2. श्रमिक ठेका अधिनियम 1970
    3. वेतन एक्ट एंव बोनस अधिनियम 1965
    4. वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट 1923
    5. इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट 1947
    6. प्राविडेन्ट फंड एक्ट
    7. राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम

    इसके अतिरिक्त किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों का श्रम कानून के अन्तर्गत पालन अनिवार्य हो तो उसका पालन करना होगा तथा ठेकेदार को श्रम विभाग से प्राप्त लेबर लायसेंस आवश्यक रुप से निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। (लेबर

लायसेंस संलग्न करें) इसके साथ में निविदाकर्ता के पास पी0एफ0 एंव ई.एस.आई.सी. नम्बर होना अनिवार्यतः है। (पी0एफ0 नम्बर का प्रमाणीकरण पेश करें)। श्रमिकों को वेतन का भुगतान उनके बैंक खातें में करना अनिवार्य होगा।

8. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सफाईकर्मियों को न्यूनतम वेतन एक्ट के प्रावधान अनुसार प्रतिमाह की सात तारीख के पहले वेतन का भुगतान किया जा रहा है। इस आशय का स्व घोषणा पत्र प्रतिमाह देय देयक के साथ संलग्न करना होगा।

9. निविदाकर्ता द्वारा संघ मुख्यालय में सफाई कार्य हेतु लगाये गये सफाईकर्मियों का नाम एंव पता संबंधी विवरण स्थापना कक्ष को देना होगा एंव सफाईकर्मी का परिवर्तन होने की स्थिति में उक्त सफाईकर्मी का उपरोक्तानुसार विवरण देना होगा। नियुक्त सफाईकर्मियों के अच्छे आचरण एंव व्यवहार की जबाबदारी निविदाकर्ता की होगी अन्यथा स्थिति में संघ कानूनी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

10. सफल निविदाकर्ता को जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर कर्मचारियों को वेतन देना होगा। इसका पालन न करने पर किसी भी कानून के अन्तर्गत अधिरोपित किये गये आर्थिक दंड का वहन निविदाकार को करना होगा।

11. निविदा शर्ते के साथ स्वीकार नहीं की जावेगी।

12. निविदाकार का साफ–सफाई कर्मी आउटसोर्सिंग से वार्षिक औसत टर्नओवर न्यूनतम 20 लाख होना चाहिए। निविदाकार को टर्नओवर प्रमाणित करने हेतु तीन कार्यशील वर्षो का सी0ए0 द्वारा आडिटेड बैलेस शीट प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

13. केन्द्र शासन की संस्था/म0प्र0 शासन की संस्था/म0प्र0शासन के उपक्रम/सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी क्षेत्र में साफ–सफाई कर्मी प्रदाय करने का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाणित करने हेतु भविष्य निधि का पंजीयन दस्तावेज की प्रति स्केन कर संलग्न किया जाना आवश्यक है।

14. निविदाकार किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज या अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। स्वच्छ छबि बाबत् स्वघोषणा शपथ पत्र संलग्न करें।

15. निविदाकार का भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं जी0एस0टी0एन0 में पंजीकृत होना आवश्यक होगा (पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है) स्केन कर संलग्न करना।

16. निविदाकार को निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रू0 1000/– ऑनलाइन ई–पेमेन्ट RTGS/NEFT से **http://www.mptenders.gov.in** के माध्यम से जमा करना होगा।

17. **निविदा दस्तावेज के साथ अमानत राशि रूपये 25000/– (पच्चीस हजार) वेबपोर्टल** **http://www.mptenders.gov.in** में ई–पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा करना होगा।

18. निविदाकार को अमानत राशि जमा करने की ई–रसीद की स्केन कॉपी अनिवार्य रूप से वेबपोर्टल पर अपलोड करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त माना जायेगा।

19. सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने पर उसकी अमानत राशि रू0 **रूपये 25000/– (पच्चीस हजार)** अनुबंध अवधि तक सुरक्षानिधि के रूप में जमा रहेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। कार्य संतोषजनक निर्धारित शर्तो के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में उक्त राशि संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी।

20. निविदाकार को वित्तीय निविदा प्रपत्र–2 में "सेवा प्रभार" की राशि प्रति साफ–सफाई कर्मी के दर से अंकित किया जाना होगा निविदा में दी गई निविदा दर दशमलव के बाद दो अंकों तक ही मान्य की जायेगी एंव प्रभार निरंक होने की दशा में विपणन संघ द्वारा संबंधित निविदाकर्ता की बिड निरस्त कर दी जावेगी

21. निविदा दर अंको एवं शब्दों में अलग–अलग अंकित किया जाना पाया जाता है तो निविदा अमान्य की जावेगी।

22. असफल निविदाकार की अमानत राशि सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध कर लिये जाने के उपरांत उनके द्वारा वेबपोर्टल पर उपलब्ध कराये गये बैंक खाते पर उक्त राशि ऑनलाईन वापस कर दी जायेगी।

23. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा दी गई दरें निविदा खोलने के दिनांक से 30 दिवस तक वैध होगी। दरों की वैधता अवधि में कार्यादेश स्वीकार नहीं करने की स्थिति में निविदाकार द्वारा विपणन संघ के पास जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को प्रथम न्यूनतम दर पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

24. फर्म के पास वैक्यूम क्लीनर होना अनिवार्य है।

25. निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ से रूपये 1000/– (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर एक वर्ष के लिये अनुबंध करना होगा। जिसकी अवधि संतोषजनक कार्य होने पर आपसी सहमति से अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के अधीन अधिकतम एक वर्ष के लिये प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 मुख्यालय भोपाल के द्वारा वृद्धि की जा सकेंगी। परन्तु निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ से अनुबंध नहीं करने की दशा में विपणन संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी।

26. म०प्र०राज्य सहकारी विपणन संघ एजेन्सी के कार्य को संतोषजनक नहीं पाये जाने पर <u>एक माह</u> की पूर्व सूचना उपरांत, अनुबंध को समयावधि के पूर्व समाप्त करने का अधिकार होगा।

27. निविदादाता द्वारा पदस्थ किये गये साफ–सफाई कर्मी की आयु 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है।

28. विपणन संघ द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान अगर साफ–सफाई कर्मी की संख्या बढ़ायी जाती है तो उस स्थिति में निविदादाता को अनुबंधित दर अनुसार ही भुगतान किया जावेगा। उसी प्रकार यदि विपणन संघ द्वारा साफ–सफाई कर्मी की संख्या घटायी/बढ़ाई जाती है तो भुगतान भी तदनुसार ही किया जावेगा।

29. निविदाकार द्वारा पदस्थ किए गये साफ–सफाई कर्मी निविदाकार के ही स्टाफ होंगे एवं उनके द्वारा रोजगार हेतु विपणन संघ पर किसी प्रकार के क्लेम स्वीकार्य नहीं होगे।

30. उपरोक्त कार्य में लगाये गये सफाईकर्मी किसी भी स्थिति में विपणन संघ में कार्यरत किसी भी श्रेणी में कार्यरत नियमित/संविदा/दैनिक वेतन भोगी अधिकारी/कर्मचारी का रिश्तेदार/संबंधी नही होना चाहिये।

31. कार्य के दौरान यदि साफ–सफाई कर्मी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व एजेंसी का होगा।

32. एजेंसी, श्रम कानूनों का पालन के लिये स्वयं जबाबदार रहेगी एवं उसे आवश्यक पंजीयन, संबंधित विभाग से प्राप्त कर, अनुबंध किये जाने के एक माह की अवधि में अनुबंधकर्ता संस्था के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

33. प्रचलित सुरक्षा कानून इस अनुबंध के तहत लागू रहेगे जिसके पालन करने की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

34. निविदाकर्ता संस्था को रजिस्टार फर्मस् एवं सोसायटी, नगर निगम में पंजीकृत होना चाहिए।

35. निविदा प्रस्तुतकर्ता का कर्मचारी भविष्य निधि खाते का पंजीयन होना चाहिये और ठेके की अवधि के दौरान वह सभी संगत सांविधिक नियम, विनियम से संबंधित विधि बाध्यता को, जो भी इनमें से उत्पन्न होगे, के पालन के लिये बाध्य होगा।

36. किसी भी व्यक्ति को आग्नेय/शस्त्र आदि लेकर भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

37. अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी वस्तु/सामग्री आदि विपणन संघ से बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा।

38. एजेन्सी के द्वारा प्रत्येक साफ–सफाई कर्मी का कार्य समय 8:00 घंटे होगा।

39. पदस्थ साफ–सफाई कर्मी की छुट्‌टी एवं बीमारी की स्थिति में एजेंसी को तत्काल नये कर्मी की व्यवस्था करनी होगी।

40. एजेंसी अपने साफ–सफाई कर्मियो को आवश्यक सुरक्षा सामग्री आदि मुहैया कराएगी। जिसका पृथक से किसी भी तरह का भुगतान, अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा देय नहीं होगा।

41. निविदा प्रस्तुत करने के साथ निविदाकार को प्रमाण सहित उन संस्थाओं की सत्यापित सूची लगाना होगी जहां वह कार्य कर रही है।

42. एजेंसी संबंधित अनुबंधनकर्ता संस्था से साफ–सफाई कर्मी की आवश्यकता की संख्या प्राप्त करगी तदानुसार अनुबंधकर्ता संस्था में लगने वाले कर्मियों का बायोडाटा मय फोटो, **आधार कार्ड नम्बर** आदि के साथ निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण जानकारी सहित संबंधित अनुबंधनकर्ता संस्था में बायोडाटा जमा कराये बगैर एजेंसी के द्वारा साफ–सफाई कर्मी को ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा।

43. एजेंसी में कार्यरत साफ–सफाई कर्मी की जिनकी एजेंसी के द्वारा पदस्थी की जावेगी, का पुलिस वेरीफिकेशन तथा स्वस्थता प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से प्राप्त कर, निविदा अनुबंध निष्पादन के अधिकतम एक माह के अंदर, अनुबंधनकर्ता संस्था को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त की पूर्ति होने के पश्चात ही अनुबंधनकर्ता संस्था के द्वारा एजेंसी को भुगतान किया जावेगा।

44. अगर किसी प्रकरण में अनुबंधकर्ता संस्था उचित समझती है कि जांच आवश्यक हो या पुलिस थाना में रिपोर्ट करना आवश्यक हो तो एजेंसी अनुबंधकर्ता संस्था के निर्देशों का पालन करेगी। अगर चालान अदालत में प्रस्तुत होता हो तो एजेंसी को जब तक कि उसका फैसला नहीं हो जाये, साक्ष्य आदि के लिये उपलब्ध रहना होगा।

45. कार्य के दौरान यदि साफ–सफाई कर्मी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा।

46. निविदाकार को स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी एजेंसी के विरूद्ध किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था के द्वारा दायर आर्थिक प्रकरण में किसी तरह की दोषिता सिद्ध नहीं हुई है।

47. निविदाकार एजेंसी के द्वारा कार्य आदेश प्राप्त होने पर अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात, इस निविदा के अंतर्गत उन्हें दिये गये कार्य को किसी भी स्थिति में अन्य संस्था/व्यक्ति को अंशतः या पूर्णतः हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

तकनीकी बिड

1. विपणन संघ द्वारा चाहे गये दस्तावेजो में संलग्न एवं सही होने पर ही निविदाकारों की वित्तीय निविदा खोली जावेगी। तकनीकी बिड हेतु निम्नलिखित दस्तावेज स्कैन कर संलग्न किया जाना आवश्यक है। चाहे गये दस्तावेज संलग्न न करने की स्थिति में निविदाकार की वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी।

   1 वर्तमान में GSTIN पंजीकरण की प्रति।
   2 वर्तमान आयकर रिटर्न की प्रति।
   3 अमानत राशि की ई–रसीद।
   4 वर्तमान भविष्य निधि की चालान की प्रति।
   5 कर्मचारी राज्य बीमा की पंजीकृत प्रति।
   6 रजिस्टार फर्म एवं सोसायटी का पंजीकरण दस्तावेज।
   7 नगर निगम पंजीकरण दस्तावेज।
   8 वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 के लाभ–हानि के पत्रक की प्रति सी0ए0 द्वारा आडिटेड बैंलेस शीट संलग्न करना अनिवार्य है।
   9 तीन वर्षो के कार्य आदेशो की प्रति।

नोट :–निविदाकार द्वारा नियमो का उल्लंघन या गलत जानकारी देने पर उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य में विपणन संघ द्वारा आमंत्रित निविदा से वंचित रखा जावेगा।

2. वित्तीय निविदा में सेवा प्रभार राशि कमांक–1 एवं साफ–सफाई कार्य में लगने वाली राशि कमांक–2 के योग को जोड़कर जिसकी निविदा दर न्यूनतम होगी उसे (L–1) माना जावेगा।

3. वित्तीय निविदा प्रपत्र कं0–2 में न्यूनतम दर वाले निविदाकार की निविदा को ही मान्य किया जावेगा। लेकिन अन्य निविदाकारो की वित्तीय निविदा दर एक सामान्य होने पर चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा। जिसके अंतर्गत सबसे पहले पर्ची उठाने के कम के निर्धारण पर्ची उठाने के पश्चात् निविदाकार को प्राप्त हुये कमांक के अनुसार सफल/असफल की पर्ची निविदाकार द्वारा उठाई जावेगी। जिससे सफल की पर्ची प्राप्त होगी उसे सफल निविदाकार (L–1) माना जावेगा।

भुगतान की शर्ते

1. स्वीकृत निविदा के पश्चात सूचना मिलने के 15 दिन के भीतर अनुबंध न करने अथवा कार्य न करने की स्थिति में निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर धरोहर राशि राजसात करने का अधिकार प्रबंध संचालक विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
2 अमानत राशि इस राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। अगर अनुबंध की समाप्ति पर विपणन संघ की कोई राशि वसूल करने हेतु निकलती है तो वह राशि काटकर शेष राशि उसे वापस मिल सकेगी।
3. अनुबंधकर्ता द्वारा प्रतिमाह साफ–सफाई का संघ द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी से संतुष्टि प्रभाणीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जिसके आधार पर माह के अन्त में देयक का भुगतान किया जावेगा।
4. सफाई कर्मचारियों को भुगतान कलेक्टर द्वारा समय–समय पर निर्धारित मासिक दर पर भुगतान करना होगा तथा सफाईकर्मियों से वेतन भुगतान प्राप्त करने की पावती देयक के साथ संलग्न करना होगी। भुगतान सफाई कर्मचारियों के बैंक खाते में करना होगा एंव भुगतान पत्रक की शीट प्रस्तुत करना होगी।
5. भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा तथा जी0एस0टी0 की वर्ष 2018–19 की चालान की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. जिस निविदाकार के नाम से निविदा प्राप्त होगी केवल उसी के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किये जायेगे। कंसोर्शियम मान्य नहीं किया जावेगा।
7. सेवा प्रदाता एजेन्सी का भोपाल में कार्यालय संचालित होना चाहिये ताकि मार्कफेड द्वारा मुख्यालय स्तर पर जिलो में पदस्थ साफ–सफाई कर्मी की समस्याओं का निराकरण किया जा सकें।
8. निविदादाता द्वारा विपणन संघ को प्रदाय किये गये कर्मचारी का ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी.एस.टी. का भुगतान संबंधित शासकीय विभागो को किया जावेगा एवं प्रतिमाह के देयक के साथ उक्त भुगतानो से संबंधित दस्तावेज विपणन संघ को उपलब्ध कराना होगें।
9. वैधानिक भुगतान जैसे सर्विस टैक्स, ईपीएफ अंशदान तथा इ.एस.आई अंशदान, एजेंसी को स्वीकृत **"सेवा प्रभार"** के अतिरिक्त देय होगा जिनकी पूर्ति अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा की जावेगी।
10. एजेंसी अनुबंधकर्ता संस्था में पदस्थ अपने प्रत्येक साफ–सफाई कर्मी की प्रत्येक माह देय ई०पी०एफ० की राशि निर्धारित कार्यालय में जमा कराकर चालान/रसीद की प्रति तथा कर्मचारीवार भुगतान की सूची अनुबंधकर्ता संस्था को प्रत्येक एक माह में उपलब्ध करानी होगी। अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा उपरोक्त पूर्ति के उपरांत, मासिक पारिश्रमिक का भुगतान एजेंसी को किया जावेगा।
11. अनुबंध की अवधि में यदि प्रभावशील कानूनों के अन्तर्गत जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित देय राशि में वृद्धि की जाती है तो इस वृद्धि की गई राशि की सीमा तक अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा भुगतान किया जावेगा।
12. एजेंसी द्वारा आयकर अधिनियम के तहत आयकर की राशि स्वयं नियमानुसार जमा कर उसकी प्रति विपणन संघ को देना होगी।
13. निविदाकार एजेन्सी को भुगतान की प्रतिपूर्ति डिजिटल मोड एकाउन्ट भुगतान के आधार पर होगी।

14. एजेन्सी को संबंधित का डिजिटल भुगतान विवरण प्रस्तुत करना होगा। किसी भी स्थिति में इस संबंध में शासन के निर्देशों की अवहेलना न की जाए।

.15. निविदाकर्ता को सफाई कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 एंव जी.एस.टी. का भुगतान संबंधित शासकीय विभागों को किया जावेगा एंव प्रतिमाह के देयक के साथ उक्त भुगतानों से संबंधित दस्तावेज विपणन संघ को उपलब्ध कराना होगें।

दंड का प्रावधान

1. विपणन संघ के अधिकारियों को निविदाकर्ता के कार्य का निरीक्षण, सर्वे का अधिकार होगा अगर निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है अथवा उसके द्वारा कार्य पालन में अवहेलना की जाती है अथवा त्रुटि रहती है तो उस पर रू0 200/– प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकेगा एंव उक्त राशि उसके बिल में से काटी जा सकेगी।

2. कार्यादेश जारी करने के दिनांक से 10 दिवस तक निविदादाता द्वारा साफ–सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं किये जाने की दशा में प्रति कर्मी प्रतिदिन की दर से रू0 100/– के हिसाब से राशि अमानत राशि में से काटी जावेगी।
3. निविदाकार द्वारा अनुबंध के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर अनुबंध समाप्ति पर कार्य अन्य एजेंसी को दिया जाता है और यदि उसकी दरें अधिक आती है तो अंतर की राशि प्रथम निविदाकार से वसूल की जावेगी।

विवाद की स्थिति में मध्यस्थता

1. किसी भी प्रकार का परिवर्तन दोनो पक्षो की लिखित सहमति से अनुबंध अवधि में किया जा सकेगा।
2. यदि अनुबंधकर्ता संस्था एवं एजेंसी के मध्य अनुबंध के तहत कोई विवाद उत्पन्न है तो प्रकरण प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० मुख्यालय भोपाल को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक, ऑर्बीट्रेटर होंगे और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/एवार्ड एजेंसी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
3. सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार भोपाल रहेगा।
4. प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० मुख्यालय भोपाल को निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

(एम.के. पाठक)
प्रबंधक (स्थापना)

2/7/2014

(पी०एस० तिवारी) 2-7-14
सचिव

अनुबंध

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0.के नये एवं पुराने भवन मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल की साफ–सफाई हेतु सेवादाता एजेंसी के बीच आज दिनांक .... से दिनांक............... तक निम्न शर्तो के अधीन अनुबंध निष्पादित किया जाता है।

1. यह कि प्रथम पक्षकार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0. जिला भोपाल द्वारा समाचार पत्रो के माध्यम से ई–निविदायें आमंत्रित की गई जिसमें लिखित समस्त नियम व शर्तो को द्वितीय पक्षकार मेसर्स .... द्वारा स्वीकार किया गया हैं।

2. यह कि निविदा प्रपत्र में दी गई समस्त नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा होगी।

3. यह कि अनुबंध के शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर प्रथम पक्षकार एक तरफ कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

4. यह कि वर्णित शर्तो में से किसी भी शर्त का द्वितीय पक्षकार द्वारा उल्लंघन किये जाने की दशा में जंमा की गई धरोहर राशि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को होगा।

अतः यह अनुबंध स्वस्थ मानसिक दशा में बिना किसी प्रलोभन व किसी दबाब के पूर्ण होश–हवांस में उपस्थित गवाहों के समक्ष आज दिनांक .... को निष्पादित किया गया है ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे।

दिनांक ....

साक्षीगण

1– प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर ....
नाम व पता ....
....

2– द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर ....
नाम व पता ....
....

वित्तीय निविदा प्रपत्र–02

निविदाकार/सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम ....

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0.के नये एवं पुराने भवन मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल की साफ–सफाई हेतु निविदाकारो से वित्तीय निविदा की नियम व शर्ते –

क्र0	विवरण	सेवा प्रभार हेतु ली जाने वाली दर प्रति सफाईकर्मी	
		अंको में	शब्दों में
1	सेवा प्रभार की दर		
2	साफ सफाई कार्य मे लगने वाली सामग्री के अंतर्गत फिनायल, झाड़ू, नेप्थोलीन, की गोलियां, रूम स्प्रे, पौंछा, टायलेट एसिड़ आदि साफ–सफाई से संबंधित समस्त सामग्री उपलब्ध कराने की विपणन संघ द्वारा निर्धारित की गई राशि रू0 3000/– (तीन हजार मात्र) इस राशि से कम राशि निविदा में अंकित करने पर निविदा अमान्य की जावेगी।		
	क्र0–1 एवं 2 का योग :–		

शर्ते :–

1 निविदा दर राशि अंको एवं शब्दों दोनों में भरा जाना है यदि अंको एवं शब्दों में अलग–अलग अंकित किया जाना पाया जाता है तो निविदा अमान्य की जावेगी।

2 निविदा में दी गई निविदा दर दशमलव के बाद दो अंकों तक ही मान्य की जावेगी।

3 वित्तीय निविदा में निविदाकार का सेवा शुल्क राशि एवं साफ–सफाई सामग्री राशि के योग्य के आधार पर जिस निविदाकार की निविदा दर न्यूनतम होगी। उसे (L1) को कार्य आवंटित किया जावेगा।

4. वित्तीय ऑफर में समान दरें प्राप्त होने की स्थिति में ऐसे निविदाकार का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा जिसके अंतर्गत सबसे पहले पर्ची उठाने के क्रम निर्धारण हेतु पर्ची उठाई जावेगी तथा उसके पश्चात निविदाकार को प्राप्त हुये क्रमांक के अनुसार सफल/असफल की पर्ची निविदाकार द्वारा उठाई जायेगी, जिसे निविदाकार को सफल की पर्ची प्राप्त होगी उसे सफल निविदाकार (L1) माना जावेगा।

5. साफ–सफाई कर्मी प्रदाय करने के लिए सेवा प्रभार की दर शून्य मान्य नही की जावेगी।

(हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

निविदाकार/एजेंसी के मुख्य कार्यपालक

नाम ....

दिनांक............................../............../.........../2018